106

केन्द्रीय परीक्षा समिति
राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची

पत्रांक–02 / रा०प०(परी०)–40 / 2019–

प्रेषक,

चितरंजन कुमार,भा०प्र०से०,
सचिव,
राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची,दिनांकः–

विषयः– **भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के राजस्व वाद अभिलेखों की स्वीकृति के संबंध में ।**

प्रसंगः– **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–1158, दिनांक 07.02.2019 एवं राजस्व पर्षद का पत्रांक–851 / रा०प०, दिनांक–16.10.2019**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में कहना है, कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–7/vi-vi-pa-27/2002-3371, दिनांक–18.06.2003 द्वारा अधिसूचित विभागीय परीक्षा नियमावली, 2003 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा राजस्व वाद अभिलेख तैयार किये जाने की कोई अनिवार्यता नहीं है । नियुक्ति विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या V/DE-1010/61-A-274 दिनांक 08.01.1962 द्वारा निर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (विभागीय परीक्षा) नियमावली, 1962 के अनुसार भा०प्र०से० पदाधिकारियों के लिए विधि वाद तैयार करना (Rule-13) अनिवार्य है । इन नियमों में भी भा०प्र०से० के पदाधिकारियों द्वारा राजस्व वाद अभिलेख तैयार किए जाने की अनिवार्यता नहीं है ।

उक्त वैधानिक स्थिति के परिपेक्ष्य में राजस्व पर्षद के पत्रांक–851 / रा०प०, दिनांक–16.10.2019 द्वारा भा०प्र०से० के पदाधिकारियों द्वारा राजस्व वाद अभिलेख तैयार कर केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद की स्वीकृति हेतु भेजने की व्यवस्था को समाप्त किया जा चुका है। इस प्रकार भा०प्र०से० के पदाधिकारियों द्वारा तैयार किये गये राजस्व वाद अभिलेख को केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद को स्वीकृत्यार्थ प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः अनुरोध है कि तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

अनु०–प्रसंगाधीन पत्र ।

विश्वासभाजन,

ह० / –
सचिव,
राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची।

कृ०पृ०उ०

105

ज्ञापांक —02 / रा०प०(परी०)—40 / 2019— रॉंची, दिनांक—

प्रतिलिपि :— महानिदेशक / निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, मेयर्स रोड, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित। प्रशिक्षण के क्रम में सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त की जानकारी दी जाय ।

ह०/—
सचिव,
राजस्व पर्षद, झारखण्ड, रॉंची।

ज्ञापांक —02 / रा०प०(परी०)—40 / 2019— 123/रा०प० रॉंची, दिनांक— 19.2-2021

प्रतिलिपि :— अवर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रॉंची को भारतीय प्रशासनिक सेवा के परीक्ष्यमान् पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कैलेण्डर में यथोचित परिवर्तन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय । झारखण्ड सरकार / Govt के पोर्टल पर update करें ।

13/2/21
सचिव,
राजस्व पर्षद, झारखण्ड, रॉंची।